International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology
Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099 (www.ijsrset.com)
doi : https://doi.org/10.32628/IJSRSET

भारत में पर्यावरणीय समस्याओं का एक व्यवहारिक अध्ययन

(A Practical Study of Environmental Problems in India)

KUSUM DEVI (Research Scholar)
शिक्षा शास्त्र विभाग
नेहरु ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय) प्रयागराज उ.प्र.

Article Info
Volume 8, Issue 3
Page Number: 371-377

Publication Issue :
May-June-2021

Article History
Accepted : 06 June 2021
Published: 12 June 2021

ABSTRACT

"प्रकृति नि: शुल्क हमें भोजन प्रदान करती है, लेकिन केवल अगर हम अपनी भूख को नियंत्रित करते हैं।" -विलियम रकल्सहास

"पर्यावरण" शब्द का उपयोग आमतौर पर "प्रकृति" का वर्णन करने के लिए किया जाता है पर्यावरण और सभी जीवित और निर्जीव चीजों का योग किसी जीव, या जीवों के समूह को घेर लें, पर्यावरण शामिल हैं सभी तत्व, कारक, और स्थितियाँ जिनका विकास पर कुछ प्रभाव पड़ता है । भारत में पर्यावरण के मुद्दे हर दिन और गंभीर होते जा रहे है । लेकिन एक गंभीर कमी के साथ शिक्षा और 1 बिलियन से अधिक लोग, जिनमें से एक बड़ी राशि घोर गरीबी, है यह शायद ही आश्चर्य की बात है। अपने उद्योगों में हाल ही में उछाल,कम या कोई पर्यावरण शिक्षा, पर लगभग बुनियादी ढाँचा बिंदु पर चल रहे भारी वनों की कटाई का उल्लेख नहीं करता है । वास्तव में,रक्षा करने वाले सभी सरकारी कानूनों में कोई कमी नहीं है लेकिन दुर्भाग्य से इसे कभी भी कठोरता से कारण लागू नहीं किया गया सत्ता का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और संसाधनों की कमी आदि है पर्यावरण में एक पारिस्थितिक समस्याएं ग्लोबल वार्मिंग कि हैं जो कार, हवाई जहाज, कपड़े से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर होती हैं ।

कीवर्ड: पर्यावरण, शिक्षा की कमी, जनसंख्या, गरीबी,उद्योगों, वनों की कटाई, सरकारी कानून, भ्रष्टाचार, वैश्विक वार्मिंग, प्रदूषण आदि ।

प्रस्तावना :

भारत में प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे तेजी से बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक विकास के कारण पतन की ओर अग्रसर है भारत में पर्यावरण के समस्या से यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष 2030 तक देश की आबादी लगभग 1.50 बिलियन हो जाएगी । प्रमुख पर्यावरण समस्या वन और कृषि भूमि का

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

क्षरण है। संसाधन की कमी (जल, खनिज, जंगल, रेत, चट्टानें आदि,) पर्यावरणीय गिरावट, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता के नुकसान, रोजी रोटी गरीबों की सुरक्षा, जनसंख्या, जन्म, मृत्यु के चार मूल जनसांख्यिकीय कारक प्रवास और आव्रजन जनसंख्या के आकार, संरचना में परिवर्तन का उत्पादन करते हैं, वितरण और ये परिवर्तन कारण के कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं और प्रभाव डालते है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास कई गंभीर योगदान दे रहे हैं।

भारत में पर्यावरणीय आपदाएँ : इनमें जमीन की जमीन पर भारी दबाव शामिल है गिरावट, जंगलों, आवास विनाश और जैव विविधता का नुकसान, बदलते खपत पैटर्न के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ी है। इसके अंतिम परिणाम वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, जल की कमी और जल प्रदूषण हैं।

(1) वायु प्रदूषण :

भारतीय शहर वाहनों और उद्योग उत्सर्जन से प्रदूषित हैं। वाहनों के कारण सड़क की धूल वायु प्रदूषण में 33% तक का योगदान कर रही हैं। बैंगलोर जैसे शहरों में लगभग 50% बच्चे अस्थमा से पीड़ित हैं। भारत में वायु प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है परिवहन प्रणाली। यह भी दिखाई दिया कि अत्यधिक प्रदूषण होने से ताजमहल पर प्रतिकूल प्रभाव पडा। एक अदालत के फैसले के बाद क्षेत्र में सभी परिवहन बंद हो गए थे क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखानों के बंद होने के कुछ ही समय बाद बड़े शहरों में प्रदूषण इस हद तक बढ़ रहा है कि अब यह 2.3 से अधिक है। WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) द्वारा अनुशंसित राशि सकारात्मक पक्ष पर, सरकार इस भारी समस्या और अपने लोगों के लिए संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देती है और धीरे-धीरे निश्चित रूप से कदम उठा रही है। जिसमें से पहला 2001 में था जब यह फैसला किया कि गाड़ियों को छोड़कर इसकी पूरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को परिवर्तित किया जाए डीजल से संपीड़ित गैस (CPG) तक का।

(2) जल प्रदूषण

भारत के 3,250 कस्बों और शहरों में जल प्रदूषण और सिर्फ 225 में आंशिक उपचार, सुविधाओं, और केवल 12 में पूर्ण अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं हैं। जो 114 शहर डंप करते हैं अनुपचारित सीवेज और आंशिक रूप से शवों को सीधे गंगा नदी में बहा दिया। बहाव, अनुपचारित पानी का उपयोग पीने, स्नान करने और कपड़े धोने के लिए किया जाता है। यह भारत की कई नदियों के साथ-साथ अन्य विकासशील देशों में भी स्थिति विशिष्ट है।

(3) ध्वनि प्रदूषण

2005 में प्रदूषण पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शोर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। शहरों में शोर वाहनों के अनावश्यक हेकिंग उच्च स्तर के डेसिबल के लिए बनाता है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए और मंदिरों द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग और मस्जिदें आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण के लिए बनाती हैं। हाल ही में भारत सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकार्य शोर स्तर के मानदंड स्थापित किए हैं। वे कैसे होंगे निगरानी और कार्यान्वित करना अभी भी सुनिश्चित नहीं है।

(4) भूमि प्रदूषण

भारत में भूमि प्रदूषण कीटनाशकों और उर्वरकों के कारण है। मार्च 2009 में, पंजाब में यूरेनियम विषाक्तता का मामला प्रकाश में आया, थर्मल पावर स्टेशनों के फ्लाई ऐश तालाबों के कारण, जो कथित तौर पर गंभीर हैं पंजाब के फरीदकोट और भटिंडा जिलों में बच्चों का जन्म दोष है। यद्यपि ब्रिटिशों ने भारत में वनों की कटाई शुरू कर दी, विभाजन के बाद से आधुनिकीकरण का दबाव 1947 में केवल वनों की कटाई की दर में वृद्धि हुई है, जिससे मिट्टी का क्षरण होता है भूमि प्रदूषण की ओर जाता है। भारत में 3.5 भारत में जैव विविधता संरक्षण, इंडोमाल्या इकोज़ोन, मेजबान के भीतर स्थित है। यह सभी स्तनधारियों के 7.6%, 12.6% एवियन, 6.2% का घर है सरीसृप, और फूल पौधों की प्रजातियों का 6.0%। हाल के दशकों में, मानव अतिक्रमण ने भारत के वन्यजीवों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। संरक्षित क्षेत्र, जो पहली बार 1935 में स्थापित किया गया था, का काफी विस्तार किया गया था। 1972 में, भारत महत्वपूर्ण निवास स्थान की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और परियोजना बाघ को अधिनियमित किया; 1980 के दशक में आगे संघीय सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया था। 500 से अधिक के साथ वन्यजीव अभयारण्य, है। भारत अब 14 बायोस्फीयर रिजर्वों की मेजबानी करता है, जिनमें चार भाग हैं। सम्मान के साथ भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य वातावरण पर्यावरण के संबंध में भारत के

नागरिकों का मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए 2 (जी) 1 खंड (जी) का खंड (जी) प्रदान करता है कि यह कर्तव्य होगा भारत के प्रत्येक नागरिक को - प्राकृतिक रूप से संरक्षण और सुधार के लिए.अग्रिमों, अभिलेखागार, राइवर्स और जंगली जीवन की स्थापना और जीने की रचना के लिए घटक है। खण्ड 2 (जी) 4 प्रदान करता है कि- पृथ्वी मनुष्य और जानवरों की सामान्य विरासत है। हमे.अपने क्षेत्र या जंगली के प्राकृतिक आवास को नष्ट करने या दूर करने का कोई अधिकार नहीं है, इनकार करता है। प्राचीन भारतीय विचार सर्वेशम शांतवीर भवतु (सभी के लिए शांति वार्ता) जीवित प्राणी और संपूर्ण वातावरण) या अहिंसा परमोधर्म है। अहिंसा परमो तप (अहिंसा सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे बड़ी तपस्या है । खण्ड 2 (जी) 5 प्रदान करता है कि - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । इसके प्रावधानों की सीमा और दूरगामी नतीजे जारी किए जा सकने वाले वैधानिक नियमों और आदेशों के माध्यम से किए जाने वाले उपाय अधिनियम के तहत, दिखाते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का कर्तव्य है हमारे कानून में काफी विस्तार से लिखा गया है

5.ग्लोबल वार्मिंग:

यह उन प्रमुख मुद्दों में से एक है जिनका हम आज सामना कर रहे हैं । यह शब्द पृथ्वी"की सतह के पास वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि को दर्शाता है, जो विभिन्न कारणों से होता है । वैज्ञानिकों की राय है कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि से स्थिति और बढ़ जाएगी । ग्रीनहाउस प्रभाव पृथ्वी " की गर्मी को वायुमंडल में फंसने का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप तापमान में वृद्धि होती है । इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हुआ है, जिससे तापमान में वृद्धि हुई है । यह बदले में, प्रकृति के बुनियादी नियमों पर निर्भर विभिन्न प्रजातियों पर प्रभाव डालता है । उसी में बदलाव अस्तित्व को एक कठिन मुद्दा बनाता है । एक गर्म पृथ्वी भी वर्षा पैटर्न में परिवर्तन का कारण बनती है और इस प्रकार मनुष्यों, पौधों और जानवरों को भी प्रभावित करती है ।

6.वनों की कटाई:

वन पारिस्थितिक चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं । वे ऑक्सीजन, वर्षा, नमी आदि का एक अच्छा स्रोत हैं । लेकिन वनों की कटाई ने पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन में भारी बदलाव लाया है । एक पेड़ को बढ़ने में वर्षों लगते हैं और हर साल लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर जंगलों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए काट दिया जाता है ।

7.ऊर्जा संकट:

आज, ऊर्जा स्रोतों के कई विकल्प हैं जैसे पेट्रोलियम, जैव ईंधन, कोयला आदि । लेकिन ये सभी स्रोत गैर-नवीकरणीय स्रोत हैं और आने वाले वर्षों में यदि उनकी खपत की जाँच नहीं की जाती है तो यह समाप्त हो जाएगा । ऊर्जा संकट के अलावा, कोयला और पेट्रोलियम जैसे संसाधन ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान दे रहे हैं । इन ऊर्जा स्रोतों के अतिरिक्त उपयोग के कारण, न केवल स्रोत समाप्त हो रहे हैं, बल्कि वे ग्रीनहाउस गैसों को भी जोड़ रहे हैं जो बदले में ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति में जोड़ रहे हैं । इतने सारे देश वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि की खोज कर रहे हैं । , जो भविष्य में मदद कर सकता है । लेकिन इन संसाधनों पर पूरी तरह से निर्भर होने और उनके उचित कामकाज को सुनिश्चित करने में कुछ समय लग सकता है ।

8.ओजोन परत की कमी:

ओजोन एक सुरक्षात्मक परत है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है । लेकिन सीएफसी (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) गैसों के उत्सर्जन के कारण ओजोन परत समाप्त हो रही है । यदि इन गैसों और अन्य हानिकारक गैसों के उत्सर्जन की जांच नहीं की जाती है, तो ओजोन परत बहुत जल्द गायब हो जाएगी । यह जीवित प्राणियों को हानिकारक विकिरणों को उजागर कर सकता है जो जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकता है जैसे त्वचा कैंसर। ओजोन रिक्तीकरण के कारण, मनुष्यों को विभिन्न अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे कि यूवी किरणों के हानिकारक प्रभावों से निपटना । ये न केवल मनुष्यों को प्रभावित करते हैं, बल्कि पौधों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों को भी प्रभावित करते हैं ।

9.प्रदूषण:

प्रदूषण एक ऐसी चीज है जिसका हम रोजमर्रा के आधार पर सामना करते हैं । यह शायद एक समस्या है कि हम अपने तेज-तर्रार जीवन को देखते हुए प्रतिरक्षा बन सकते हैं और इस तथ्य को एक हैक किए गए मुद्दे के रूप में माना जा रहा है, जहां बहुत कुछ बोला जाता है लेकिन कुछ भी ठोस नहीं किया

जाता है । पर्यावरण प्रदूषण के कई प्रकार हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि । ये सभी प्रदूषण बहुत हानिकारक हैं और जीवित प्राणियों पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं । वायु प्रदूषण पृथ्वी"के वायुमंडल में हानिकारक गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग हो रही है । दूसरी ओर जल प्रदूषण, पानी में अपशिष्ट पदार्थों के डंपिंग से संबंधित है जो जलीय और स्थलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है । मृदा प्रदूषण मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों के डंपिंग से भी संबंधित है जो मिट्टी के क्षरण का कारण बनता है । अब ध्वनि प्रदूषण आता है, जो उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगों से संबंधित है जो कानों के लिए हानिकारक हैं

10.अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन:

दुनिया ने बहुत प्रगति की है लेकिन इस प्रगति के साथ, हानिकारक और विषाक्त की मात्रा कचरे में वृद्धि हुई है । यह समस्या अमेरिका में पर्यावरण के मुद्दों की सूची में सबसे ऊपर है । कई उद्योग जिनमें अपशिष्ट पदार्थ जैसे पारा, सीसा, मोटर तेल आदि होते हैं । उन्हें ठीक से संसाधित न करें और इसे भूमि या पानी में डंप करें जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी और पानी का विषाक्तता होता है । इस कचरे में रेडियोधर्मी अपशिष्ट भी शामिल हो सकता है जिसे बेअसर करना बहुत मुश्किल है । यह एक बहुत ही गंभीर वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दा है । तेल स्पिलएक और प्रमुख चिंता बन गई है जो कई समुद्री प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनती है । इसका मुख्य कारण लापरवाही, दुर्घटनाएं, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं आदि हैं । कई तेल उद्योगों ने इस पर्यावरणीय मुद्दे में योगदान दिया है ।

11.संसाधनों की कमी:

संसाधनों को नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है । हालांकि नवीकरणीय संसाधनों को पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन अधिक उपयोग से आईटी की आपूर्ति में असंतुलन हो सकता है । संसाधन की कमी को भी प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों की सूची में शामिल किया गया है क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । अधिक जनसंख्या, कटाव, प्रदूषण, खनन, मत्स्य पालन, औद्योगिक विकास, वनों की कटाई, अधिक खपत या संसाधनों का अनावश्यक उपयोग संसाधनों की कमी के पीछे कुछ कारण हैं । इस समस्या से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो सकती है ।

12. जनसंख्या की अधिकता :

विशेषज्ञ ओवरपॉपुलेशन को अन्य पर्यावरणीय मुद्दों में सबसे खराब मानते हैं । संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावनाओं की रिपोर्ट के परिचय स्थायी विकास और पर्यावरण संरक्षण नीतियों, उद्देश्यों और लक्ष्यों की खोज के लिए जनता पर्यावरण और विकास के कई आयामों के बारे में पर्याप्त रूप से संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पर्यावरणीय मुद्दों की जागरूकता और समझ पर्यावरण और ध्वनि के लिए प्रतिबद्धता और सार्थक कार्रवाई के लिए आधार और तर्क प्रदान करती है। यह अध्याय 1990 के दशक के दौरान एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में पर्यावरण शिक्षा, सूचना, जागरूकता और प्रशिक्षण में विकास का अवलोकन प्रदान करता है। औपचारिक और गैर-औपचारिक क्षेत्रों में पर्यावरण शिक्षा में रुझान और पैटर्न, और सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, समुदायों और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किए गए पहल और कार्यक्रम भी पहचाने जाते हैं। पर्यावरण शिक्षा, सूचना और संचार के लिए अंतर्निहित आवश्यकताओं को भी बाधाओं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष जोर से चर्चा की जाती है जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान जनसंख्या लगभग प्रति वर्ष 74 मिलियन लोगों द्वारा बढ़ रही है । यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि के साथ उनकी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी । अपर्याप्त भूमि, संसाधन, भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकता कई अन्य समस्याओं को जन्म दे सकती है और मौजूदा लोगों में भी योगदान दे सकती है । इसलिए, बढ़ती आबादी पर न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे ग्रह के अस्तित्व के लिए नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण है ।

13.परमाणु मुद्दे:

कई देश गर्व से कहते हैं कि उनके पास परमाणु हथियार हैं । लेकिन तथ्य यह है कि परमाणु हथियार आज सबसे खतरनाक पर्यावरणीय मुद्दों में से एक बन गए हैं । हमारे पास परमाणु हथियार की मात्रा कुछ सेकंड में पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती है । परमाणु ऊर्जा के कई नुकसान हैं । पानी का उपयोग रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए किया जाता है जो तब अन्य जल निकायों के साथ मिश्रित होता है और इसके द्वारा, यह ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को जोड़ता है । जो अपशिष्ट उत्पन्न होता है वह इतना खतरनाक होता है कि थोड़ी मात्रा में परमाणु अपशिष्ट भी एक बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता है और जीवित प्राणियों को प्रभावित कर सकता है । परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है ।

14. जैव विविधता का नुकसान:

जैव विविधता पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के संयोजन को संदर्भित करती है। विभिन्न पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र (प्रवाल भित्तियों, रेगिस्तान, वर्षा वन, आदि) पृथ्वी के चक्र में सभी की एक अनूठी भूमिका है। ये विविध प्रजातियां विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों को बढ़ावा देती हैं, जो इस प्रकार उन्हें रोकने में सक्षम बनाती हैं, साथ ही कई आपदाओं से उबरने में भी सक्षम बनाती हैं। हालांकि, वनों की कटाई और शिकार जैसी विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण, प्राकृतिक आवासों के साथ-साथ कई प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा हो रहा है। कई पौधे और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, जबकि अन्य पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। जानवरों और पौधों के विलुप्त होने से विभिन्न प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें से कुछ हैं – समुद्र के स्तर में वृद्धि (बाढ़ के लिए अग्रणी), सूखा, जंगल की आग, वन विनाश और बहुत कुछ। ये वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों में से कुछ हैं हम आज सामना कर रहे हैं जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता है और ग्रह को बचाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। ऊपर दी गई पर्यावरणीय समस्याओं की सूची छोटी दिख सकती है लेकिन इसमें चर्चा की गई समस्याएं धीरे-धीरे पर्याप्त हैं, लेकिन निश्चित रूप से पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देती हैं। इसलिए सभी को पर्यावरण को बचाने के टिप्स पर ध्यान देना चाहिए और इसे बचाने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास से, हम केवल अपने ग्रह को नष्ट होने से बचाने की उम्मीद कर सकते हैं

15.**भोपाल गैस त्रासदी**

भोपाल गैस त्रासदी भोपाल आपदा विश्व की सबसे खराब औद्योगिक तबाही थी। यह यूनियन कार्बाइड में 2 से 3 दिसंबर, 1984 की रात को हुआ था इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) भोपाल, मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र है। मिथाइल का रिसाव प्लांट से आइसोसायनेट गैस और अन्य रसायन सैकड़ों के संपर्क में आए हजारों लोगों की जान चली गई। 2006 में एक सरकारी हलफनामे में कहा गया था कि रिसाव की वजह से 558,125 लोंगो का विस्थापन हुआ। चोटों सहित 38,478 अस्थायी आंशिक और लगभग 3,900 गंभीर रूप से और स्थायी रूप से चोटों को अक्षम करने और अनुमानित मृत्यु 15,000 थी। भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण पुनर्वास हुआ। यह कारखाना 1985 - 1986 में बंद, पाइप, ड्रम और टैंक साफ किए गए और बेचे गए। चारों ओर का क्षेत्र संयंत्र खतरनाक रसायनों के लिए एक डंपिंग क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया गया था। प्रदूषण की सूचना दी यौगिकों में नेफ़थोल, नेफ़थलीन, सेविन ,, क्रोमियम, लेड, हेक्साक्लोरोइथेन, हेक्साक्लोरोबुटैडीन आदि था। ताकि आसपास की आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके, UCC कारखाने, पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए एक योजना है। दिसंबर 2008, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि विषाक्त अपशिष्ट गुजरात के अंकलेश्वर में विस्थापित होना होना चाहिए। लवासा सिटी, लवासा भारत की पहली पहाड़ी है आजादी के बाद से शहर स्थापित हुआ। पहला विवादास्पद मुद्दा पर्यावरण के बारे में है। राज्य सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है जो प्रतिकूल होगी जैव विविधता पर प्रभाव और जो पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन है। अगर पानी वरसगांव बांध से लवासा की ओर मोड़ दिया जाता है, इससे पुणे शहर के लिए जल आपूर्ति में समस्या होगी। 19 जनवरी, 2011 को, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने आदेश किया पर्यावरण के मुद्दों की वजह से लवासा पहाड़ी शहर अवैध है। यह पुणे के बहुत करीब है और मुंबई मे है। यह पुणे से 50 किमी और मुंबई से 180 किमी दूर है यहाँ शामिल दूसरा मुद्दा है - मंजूरी जो लवासा निगम को मिली 2002-2004 की अवधि के दौरान बेटी, दामाद और के शेयरों के कारण शरद पवार के करीबी सहयोगी है। लवासा परियोजना का मुद्दा राजनीति गंदगी का एक स्पष्ट उदाहरण है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कुछ राजनेताओं को पर्यावरण की कोई चिंता नहीं है, लोग और देश; वे केवल लाभ या धन के बारे में चिंतित हैं

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम :

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 उद्देश्य संरक्षण प्रदान करना और पर्यावरण का सुधार करन है। पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने के लिए नियम बनाना; सेवा वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषकों के मानकों और अधिकतम सीमाओं को विभिन्न के लिए सूचित करें क्षेत्र और उद्देश्य; खतरनाक से निपटने पर प्रतिबंध और प्रतिबंध पदार्थ, उद्योगों की स्थिति या जुर्माने के साथ जो भी व्यक्ति को बढ़ा सकता है प्रदूषण का कारण पाया जा सकता है, जो एक शब्द के लिए सजा के लिए उत्तरदायी हो सकता है पांच साल से एक लाख रुपये तक या दोनों का पालन करें अगर जुर्माना नहीं रुपया 5000 प्रति दिन अतिरिक्त, फिर भी यदि एक वर्ष से अधिक समय तक अनुपालन नहीं होता है, तो कारावास 7 साल तक बढ़ सकता है।

वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम :

वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। 1927-भारतीय वन अधिनियम और संशोधन 1984; 1972 - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम नियम 1973 और संशोधन 1991 1980 - वन (संरक्षण) अधिनियम और नियम, 1981 जल 1882 - सुगमता अधिनियम। 1897 - भारतीय मत्स्य अधिनियम। 1956 - नदी बोर्ड अधिनियम। 1970 - व्यापारी शिपिंग अधिनियम। 1974 - जल (रोकथाम) और प्रदूषण पर नियंत्रण) अधिनियम। 1991 - तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, वायु (रोकथाम और प्रदूषण का नियंत्रण) अधिनियम और संशोधन अधिनियम 1987 में 1981 - वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1982 -वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम 1982 - परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1987 - वायु (रोकथाम और प्रदूषण का नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 1988-मोटर वाहन है ।

वन और कृषि भूमि का क्षरण :

वन और कृषि भूमि का क्षरण एक अनुमानित 60% खेती योग्य भूमि है मृदा अपरदन, जल जमाव और लवणता से यह भी अनुमान है कि 4.7 के बीच मिट्टी के क्षरण से सालाना 12 बिलियन टन टॉपसॉल खो जाता है । 1947 से 2019 तक, औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगभग 70% घटकर 1,822 क्यूबिक रह गई । पंजाब, और उत्तर प्रदेश, हरियाणा के राज्यों में भूजल की अधिकता से समस्याग्रस्त है, । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अनुमान लगाया है तापमान में 3डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से गेहूं की पैदावार में 15 से 20% की कमी आएगी। ये इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए पर्याप्त समस्याएं हैं प्राथमिक संसाधनों की उत्पादकता और जिनकी आर्थिक वृद्धि काफी हद तक निर्भर करती है औद्योगिक विकास व वन क्षेत्र में भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल (637000 वर्ग किमी) 18.34% है। देश का लगभग आधा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है (20.7%) और उत्तर पूर्व के सात राज्य (25.7%); है । ईंधन की लकड़ी और वन के लिए कटाई के कारण वन हानि में कमी आई है कृषि भूमि का विस्तार हुआ है। ये रुझान, बढ़ते औद्योगिकीकरण के साथ संयुक्त मोटर वाहन प्रदूषण उत्पादन, आदि से वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है, ।

निष्कर्ष :

हम जानते हैं कि आज संपूर्ण विश्व के सामने पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या विद्यमान है । आज अनेक प्रकार के प्रदूषणो की बाढ़ अपनी चरम सीमा पर है हम प्रदूषण के विषय में आज यही कह सकते हैं कि आधुनिक मानव प्रदूषण ही खाता है और पीता है तथा प्रदूषण में ही दिन-रात रहकर जीवन यापन कर रहा है । जल, ध्वनि, वायु प्रदूषणो की अधिकता ने मानव की सांसो को धीरे-धीरे कम कर रहा है । आज मानव में इन प्रदूषणो के प्रति आक्रोश है और प्रदूषण के प्रति सजगता भी आ रहे हैं किंतु यह सजगता बहुत कम लोगों में है । हमें पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुरक्षा के प्रति लोगों की सजगता को बढ़ानी होगी क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो रहे बिघटन से प्राणी और मानव जाति का अस्तित्व खत्म हो सकता है । हमें यह समझना होगा कि प्रदूषण चाहे जैसे हो वह मानव, पर्यावरण तथा पेड़ पौधों के लिए खतरनाक ही होगा । आज प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण एव वर्तमान में जल,वायु ,वनस्पति, जीव,जन्तु, मिट्टी आदि प्राकृतिक वस्तुओं और मानवीय रिश्तो आदि में सामजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है । जिसके लिए हमें नैतिकता एव भौतिकता के माध्यम से संतुलन को बनाए रखने में भूमिका निभानी होगी,और प्रकृति द्वारा उपहार में दिए गए वायु, जल, खनिज संपदा, जीव ,जंतु ,नदी ,पहाड़ आदि की हमें रक्षा करनी होगी , हमें अपने विवेक एवं संवेदनशीलता के अनुसार संतुलित होकर ही उनका उपभोग करना होगा । पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान में महत्वपूर्ण चुनौती है हमें इसे सहर्ष स्वीकार करना होगा वर्तमान में ही पर्यावरण का संरक्षण करके आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करना होगा जिससे पर्यावरण को अनिश्चित काल तक उपहार स्वरूप संजोया जा सके ।

संदर्भ

1. अलेक्जेंड्राटोस, निकोस (1999), विश्व खाद्य और कृषि: माध्यम के लिए दृष्टिकोण ।
2. जोएल ई, कोहेन और नीना वी, फेडरॉफ़, संस्करण, वॉल्यूम, 96 मई, ।
3. आरo,और जीo जीo, मोय (1997), आहार जोखिम की निगरानी और मूल्यांकन रासायनिक संदूषक, विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी त्रैमासिक (जिनेवा), वॉल्यूम, 50, ।
4. बार्बी, ईo बीo (1997), विकासशील में भूमि क्षरण के आर्थिक निर्धारक देशों, लंदन के रॉयल सोसायटी के दार्शनिक लेनदेन, श्रृंखला बी जैविक विज्ञान, खंड, 352 (1356), पेज 891-899, ।
5. बार्टन, कार्ल, आरo (1990), लैटिन अमेरिका में पानी की गुणवत्ता और शहरीकरण, पानी इंटरनेशनल, वॉल्यूम ,15, पेज 3-14।

6. कोहेन, जे0 (1995)। कितने लोग पृथ्वी का समर्थन कर सकते हैं? न्यू यॉर्क: डब्ल्यू0डब्ल्यू ,नॉर्टन।
7. कोहेन,एम0एस0,औरए0सी0मिलर(1998),यौनसंचारितरोगऔरमानव,mmunodeficiency,वायरस संक्रमण: कारण, प्रभाव या दोनों? इंटरनेशनल जर्नल ओ.टी.,संक्रामक रोग (हैमिल्टन, कनाडा), वॉल्यूम, 3, नंबर 1, पेज -4
8. कॉलिन्स, जेन (1986) उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका के छोटे बस्ती: सामाजिक पारिस्थितिक विनाश के कारण, मानव संगठन, वॉल्यूम, 45, नंबर 1, पेज 1-10।
9. United राष्ट्र (1999), विश्व जनसंख्या निगरानी, 1999: जनसंख्या वृद्धि, संरचना और वितरण। बिक्री संख्या E.00.XII.4।
10. यूनाइटेड नेशन (2000 ए), हम लोग: संयुक्त राष्ट्र की भूमिका
11. इक्कीसवीं सदी: महासचिव की रिपोर्ट। ए / 54/2000। 27 मार्च 2000।
12. यूनाइटेड नेशन (2000 बी),.नीचे प्रतिस्थापन प्रजनन क्षमता की जनसंख्या बुलेटिन संयुक्त राष्ट्र, नंबर 40-41, विशेष अंक: प्रतिस्थापन उर्वरता के नीचे, बिक्री नं0 E.99.XI11.13।
13. यूनाइटेड नेशन (2000 सी), विश्व शहरीकरण की संभावनाएं: 1999 का संशोधन, डेटा तालिकाओं और प्रकाश डाला गया,वर्किंग पेपर, नं0 161. जनसंख्या प्रभाग आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय,न्यूयॉर्क,
14. यूनाइटेड नेशन (2001 ए),.विश्व जनसंख्या संभावनाएं: 2000 संशोधन,
15. हाइलाइट्स ।ESA / P / WP.165।